

केंद्रीय बैंक संप्रेषण : कुछ विचार*

वाइ. वी. रेड्डी

अपने संबोधन के प्रारंभ में ही मैं भारत में आए अपने अतिथियों का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मुंबई की ऋतु तथा इस सेमिनार की बौद्धिक सक्रियता सुखद एवं रचनात्मक लग रही होगी। मैं आयोजकों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस सेमिनार में आमंत्रित किया। सेमिनार का विषय हमारे मन-मस्तक का अंतरंग विषय है और हमने भारतीय रिज़र्व बैंक में पिछले वर्ष इसी विषय एमएएआरसीएफआईएन द्वारा प्रायोजित एक सेमिनार का आयोजन किया था और हमने दक्षिण एशिया में एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखा। आज का सेमिनार भिन्न है और कुछ कारणों से यह शायद विशेष रूप से लाभप्रद हो: इसकी परिधि में केंद्रीय बैंकों का व्यापक क्षेत्र समाहित है और इसे किसी निजी बैंक के अतिरिक्त बहु-स्तरीय संस्था की भागीदारी तथा मीडिया के प्रतिनिधित्व का श्रेय प्राप्त है। आयोजक इस सेमिनार को मुद्दों, वर्गीकरण तथा सहभागिता के परिप्रेक्ष्य में इस सेमिनार की बेहतरीन रूपरेखा तैयार करने के लिए बधाई के पात्र हैं। मेरे विचार से इस कार्यक्रम की सूची में विचारार्थ रखे गए प्रमुख प्रश्न बहुत समीचीन हैं और शायद मुख्य संबोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक में अपने अनुभव के आधार पर इन प्रश्नों पर कुछ विचार प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा।

विगत में केंद्रीय बैंकिंग में एक प्रकार की गोपनीयता रहती थी और उसके चारों ओर एक रहस्यात्मकता होती थी। तथापि, हाल के वर्षों में अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टता, पारदर्शिता एवं संप्रेषण रहा है। आखिर इसके कारण क्या हैं? पहला, केंद्रीय बैंकों की अधिक स्वतंत्रता उनसे सार्वजनिक रूप से जवाबदेह आचरण की मांग करती है; दूसरा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लक्ष्य का अंगीकरण - चाहे वैधानिक प्रतिबंध के द्वारा या किसी अन्य तरह से; तीसरा, एक ऐसी दुनिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का केंद्रीय बैंकों को जनादेश जिसमें वित्तीय बाजार एवं उसकी प्रत्याशाएं मायने रखती हों। ध्यान देने योग्य रोचक बात यह है कि इंग्लैंड में भी जहां फाइनांशियल सर्विस अथॉरिटी है, बैंक आफ इंग्लैंड आवधिक रूप से वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

इस संबंध में सैद्धांतिक परिदृश्य क्या है? अकादमिक एवं नीति विषयक साहित्य मौद्रिक नीति की प्रभावशालिता के लिए संप्रेषण की भूमिका को महत्व देता है और इसमें नीति संबंधी चार पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे कार्य कुशलता, समयानुकूलता, सूचनाओं का इष्टतम उपयोग तथा संस्थागत एवं निर्णय प्रक्रियाएं। कार्य कुशलता से जुड़े मुद्दे

गुणवत्ता, शोर के तत्व, संभावनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन में विलंब के इर्द-गिर्द होते हैं। समयानुकूलता से जुड़े मुद्दे संप्रेषण एवं नीतिगत कार्रवाइयों में अदला-बदली की स्थितियों तथा निजी निर्णयन में अनिश्चितता के निर्मूलन के सापेक्ष अप्रत्याशित नीतियों की प्रभावशालिता के बीच विकल्पों से संबंधित होते हैं। सूचनाओं के इष्टतम उपयोग से संबंधित मुद्दे सूचना के प्रकटन से संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं जो निजी क्षेत्र द्वारा स्वतंत्र धारणाएं बनाने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंच सकता है जो कि सुव्यवस्थित रूप से संचालित बाजारों के लिए घातक है। मौद्रिक नीति की संस्थागत एवं निर्णयन प्रक्रियाएं स्वायत्त समूह द्वारा निर्णय लेने की दिशा में हाल ही की प्रवृत्तियों की ओर संकेत करती हैं, जैसे कि इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी; समूहों के संघटन, उनकी बैठकों की आवधिकता, विचारों को श्रेय देना, पारदर्शिता, आदि। अतः, यह स्पष्ट होना चाहिए कि मौद्रिक नीति के संबंध में संप्रेषण नीति के सीमित मुद्दे पर भी संबंधित साहित्य में एक व्यवस्था दी गई है किंतु देशों के बीच प्रथाओं की प्रवृत्ति भिन्न है। इस विषय में सार्वभौमिक रूप से मान्य कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है, लेकिन उक्त ढांचा, जो अभी विकसित हो रहा है, देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोगी है। हालांकि किसी भी देश के लिए यह ढांचा उपयोगी तो है परंतु वास्तव में जो निर्णय इसके भीतर लिया जाता है वही मायने रखता है। भारत में, हम धीरे-धीरे मौद्रिक नीति निर्माण की एक ज्यादा खुली एवं भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया में पदार्पण कर रहे हैं जिस पर मेरे सहयोगी चर्चा करेंगे।

केंद्रीय बैंकों द्वारा संप्रेषण को दिया जानेवाला बढ़ता महत्व वित्तीय स्थायित्व बनाए रखने के प्रति उनकी जिम्मेदारी के कारण है - जिसमें मौद्रिक नीति तो शामिल है, परंतु उनकी जिम्मेदारी इसके संचालन से भी आगे तक है। ऐसी मान्यता है कि सुविज्ञ बाजार सहभागी बाजारों को बेहतर ढंग से संचालित करने में सहायता करते हैं भले ही वे इसे सुनिश्चित न कर पाते हों और एक केंद्रीय बैंक इस प्रकार की उपयोगी सूचनाएं बखूबी प्रदान कर सकता है। तथापि, क्या सूचना उपलब्ध कराने के फलस्वरूप अपेक्षाओं का निर्धारण तथा प्रबंधन होगा या नहीं, और यदि होता है तो क्या यह वांछनीय है - ये सब कठिन मुद्दे हैं। उदाहरण के लिए ऐसा लगता है कि यूएस फेडरल रिज़र्व 1994 से ही अग्रतर मार्गदर्शन दे रहा है जबकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक बाजारों को मार्गदर्शन देने के बजाय उन्हें सूचनाएं देता हुआ प्रतीत हो रहा है। भारत में हमने सूचनाओं के अलावा

* डॉ. वाइ.वी. रेड्डी, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मुंबई में 23 जनवरी 2006 को प्रायोजित क्षेत्रीय सेमिनार में केंद्रीय बैंक संप्रेषण पर दिया गया भाषण।

अपने विश्लेषण की साझेदारी करने का मध्यम मार्ग अपनाया है लेकिन हम बाजार के सहभागियों को किसी भी प्रकार से निर्देशित नहीं करते हैं। तथापि, ऐसा करते हुए हमें बाजार सहभागियों और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच सूचनाओं एवं प्रत्यक्ष ज्ञान के दो तरफ़ा आदान-प्रदान की प्रक्रिया से लाभ मिलता है। यह दोतरफ़ा प्रक्रिया स्थाई परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से औद्योगिक संघों के साथ औपचारिक रूप से की गई बैठकों तथा अनौपचारिक/तदर्थ समितियों, तकनीकी रिपोर्टों, कार्यदलों, आदि के द्वारा संभव हुई है।

इस मंच पर, मैं प्रभावी संप्रेषण नीति से अर्जित विश्वसनीयता रूपी बोनस के प्रति सरोकार आपके साथ बांटना चाहूंगा। क्या यह संभव है कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की दिशा में विश्व में केंद्रीय बैंकों द्वारा इस प्रकार के 'अनुभजन्य' तथा 'अत्यंत सफल' संप्रेषण निजी क्षेत्र द्वारा जोखिमों के न्यून मूल्यन में परिणत हुए हों या वित्तीय जोखिमों को रोकने में कोई खास कमी हुई हो? क्या यह संभव है कि यह विश्वसनीयता रूपी बोनस ही हाउसिंग तथा इक्विटी कीमतों में उछाल के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है जो एक वैश्विक घटना बनती जा रही है?

वित्तीय स्थिरता का मुद्दा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में केंद्रीय बैंकों के लिए खासा महत्वपूर्ण एवं बहुत जटिल मुद्दा है। बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अपने राजकोषीय, चालू खाता, बाह्य क्षेत्र के प्रति खुलापन तथा तेल से प्राप्त आय अथवा तेल आयात पर निर्भरता के मामले में काफी अंतर रहता है। तथापि, वित्तीय बाजारों में विश्लेषक अक्सर उन्हें एक समूह के रूप में मानते हैं क्योंकि उन्हें वित्तीय पूंजी का ऐसा मुकाम माना जाता है जहां उच्च स्तर का जोखिम और उच्च स्तर का पारितोषिक दोनों हैं। उनका यह गुण उन्हें पूंजी प्रवाह के मामले में जोखिमपूर्ण बना देता है और कभी-कभार संबंधित देश की आर्थिक बुनियादी विशेषताओं से इतर कारणों से भी। जैसा कि नाम से ही ध्वनित होता है, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं एक स्थिति से दूसरी स्थिति, नामतः कम बाजारोन्मुख से अपेक्षाकृत अधिक बाजारोन्मुख रूप में उभर रही हैं और इस प्रकार वे एक संक्रमण के दौर में हैं। वित्तीय स्थिरता की अपनी तलाश में ईएमई के केंद्रीय बैंकों के समक्ष दो अतिरिक्त चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है, इस संक्रमण का प्रबंधन अपनी अर्थव्यवस्थाओं के हिसाब से करने की, जिसके सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम हैं; दूसरी, विदेशी पूंजी के प्रवाह के तेवर पर नजर रखने की - जो घरेलू कारणों के अलावा इतर कारणों से बदल सकता है। हालांकि, किसी खास विदेशी निवेशक के लिए यह ईएमई से एक औद्योगिकीकृत देश में जाने का एक छोटा संविभाग परिवर्तन हो सकता है लेकिन संबंधित ईएमई के लिए इस परिवर्तन का परिमाण बड़ा हो सकता है। एक अन्य कारण, नामतः उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की गतिविधियों के प्रति वित्तीय बाजारों की विषम प्रतिक्रिया की वजह से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों के लिए संप्रेषण नीति की चुनौतियां काफी हद तक बहुत जटिल हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ईएमई के विदेशी मुद्रा भंडार में पांच बिलियन अमेरिकी डॉलर का

इजाफा हो तो उसके प्रति बाजार में जो प्रतिक्रिया होगी वह उतनी ही उसी राशि के बराबर विदेशी मुद्रा भंडार में हुई गिरावट के प्रति होनेवाली प्रतिक्रिया के मुकाबले तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगी।

भारत में सूचनाओं के प्रति पूरक या समानांतर उपाय करते हुए वित्तीय स्थिरता के खतरों से निपटने के लिए अनेक मौद्रिक तथा प्रशासनिक उपाय किए गए थे। मसलन 'रुपए की विनिमय दर घटाने के संबंध में बातचीत (टाक डाउन द रूपी)' पर अगस्त 1997 में गोवा में दिया गया भाषण; 1997 तथा 1998 खंड में उपायों के एक पैकेज सहित एशियाई संकट के संदर्भ में बाजार की गतिविधियों पर आश्वासनकारी वक्तव्य; रूसी संकट के संदर्भ में वर्ष 1998 के मध्य में किए गए अग्रिम उपाय; वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के संदर्भ में जारी किए गए आश्वासनकारी वक्तव्य; 9/11 के संदर्भ में चलनिधि में वृद्धि के साथ-साथ उपाय एवं आश्वासनकारी वक्तव्य; 17 मई 2004 को भारतीय शेयर बाजारों में तेज गिरावट के समय, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बदलाव का भी समय था, एक साथ की गई कार्रवाइयां एवं उपाय, और एकदम हाल ही में सात बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के इंडिया मिलेनियम डिफॉजिट के शोधन के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए किए गए उपाय। कुछ अन्य उदाहरण ऐसे भी हैं जब जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मसलन, जब अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाया गया तो भारतीय रिज़र्व बैंक ने न कोई कार्रवाई की और न ही कोई वक्तव्य दिया। संक्षेप में, कहा जाए तो हमारे यहां मुक्त बाजार परिचालन, खुला मुंह परिचालन है इसलिए वित्तीय स्थिरता के प्रति खतरों के संबंध में हम केवल अपनी आँखों एवं कान से कार्रवाई करते हैं।

कई केंद्रीय बैंक ढेर सारी भूमिकाएं निभाते हैं और प्रायः उनकी जिम्मेदारियां कभी-कभार मौद्रिक नीति तथा वित्तीय स्थिरता तक सीमित होती हैं। अतः एक तरफ निभाई जाने वाली विशेष भूमिका की जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से संप्रेषण नीतियां तथा रणनीतियां निर्धारित की जाती हैं तो दूसरी तरफ समग्र रूप से एक ऐसी संगत और साझा नीति की संरचना बनानी होती है जिसके भीतर केंद्रीय बैंक कार्य करते हैं। मसलन, मुद्रा, विदेशी मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूति बाजारों को विकसित एवं विनियमित करने के लिए रिज़र्व बैंक जिम्मेदार है, वहीं जब रिज़र्व बैंक एक विकासकर्ता एवं विनियामक दोनों ही रूप में होता है तो उसके सामने कुछ दुविधाएं भी रहती हैं जिनका समाधान जरूरी है। यह केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए एक ऋण प्रबंधक भी है। इस प्रकार, बाजार के बिचौलियों के साथ व्यवहार करते समय अपनाई जानेवाली नीतियां, रणनीतियां एवं विषयवस्तु उनसे या यों कहें कि राज्य सरकारों से भिन्न होती हैं जिनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक एक बैंकर भी है और ऋण प्रबंधक भी है। रिज़र्व बैंक विशेष रूप से बैंकों का एक विनियामक भी है और जमाकर्ताओं, सामान्यतः उपभोक्ताओं, व्यवस्थागत क्षमता एवं स्थिरता का विशिष्ट हित देखने के साथ-साथ स्वयं बैंकों, जिनका स्वास्थ्य वित्तीय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, का विशिष्ट हित उसे देखना पड़ता है। इसलिए

स्टेक होल्डरों की प्रत्येक श्रेणी के लिए संप्रेषण नीतियां अलग-अलग बनानी पड़ती हैं। अंततः, केंद्रीय बैंक को अनेक सेवाएं देनी पड़ती हैं विशेष रूप से करेंसी एवं सिक्कों, भुगतान प्रणाली, ऋण संबंधी सूचना और समग्र रूप से शिकायत निवारण से संबंधित मामलों में।

वास्तव में संप्रेषण लक्ष्यित श्रोता के प्रति उदासीन नहीं होता है। केंद्रीय बैंक के संप्रेषण में विविधता होती है जिसमें आम जनता, वित्तीय बाजार के सहभागी, मीडियाकर्मी, केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं, अकादमिक संस्थाएं, वित्तीय बाजार के विश्लेषक, रेटिंग एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय या बहुउद्देश्यीय निकाय, आदि शामिल हैं। मैं एक संप्रेषण विषयक पहल का उदाहरण देना चाहूंगा जो हाल ही में रिज़र्व बैंक द्वारा की गई है। बैंकों के लिए लोकपाल योजना में हाल ही में संशोधन किया गया था जिसका उद्देश्य अपनी जनता के एक व्यापक वर्ग को सूचित करना था। एक प्रेस विज्ञप्ति मात्र से यह प्रयोजन पूरा नहीं होता। इसलिए एक विज्ञापन जारी करने का फैसला किया गया - जिसकी विषयवस्तु तो वास्तव में समान थी किंतु भाषाएं भिन्न थीं। जहां 17 प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों का मिलाजुला प्रसार 6.3 मिलियन और उनके पाठकों की संख्या 17.9 मिलियन है, वहीं 15 प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों का प्रसार इससे अधिक अर्थात् 8.1 मिलियन और उनके पाठकों की उससे भी बहुत अधिक अर्थात् 87.0 मिलियन है - यों कहें कि लगभग पांच गुना अधिक। वास्तव में, भारत में 54 प्रमुख गैर अंग्रेजी समाचारपत्रों की प्रसार संख्या 21.4 मिलियन तथा उसके पाठकों की संख्या 197.2 मिलियन है। संप्रेषण के क्षेत्र में हमारे अद्यतन प्रयास का लक्ष्य कवरेज होगा; इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि भारत में हमारे लक्ष्यित 200 मिलियन मध्यवर्ग में से अधिकांश देशी भाषा में छपनेवाले समाचार पत्र पढ़ते हैं।

एक समुचित सूचना नीति की रूपरेखा बनाने के दौरान केंद्रीय बैंकों को अनेक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। क्या बताया जाए और किस हद तक बताया जाए - यह मुद्दों का एक समूह है। मुद्दों का दूसरा समूह इस बात से संबंधित है कि आंतरिक सोच-विचार तथा बहस मुबाहिसे से उभरने वाली बातें किस चरण में बताई जानी चाहिए। तीसरा समूह बाजार पर पड़ने वाले सूचना के प्रभाव के संदर्भ में उसके सटीक समय से संबंधित है। चौथे का संबंध सूचना की गुणवत्ता तथा उन संभावित तौर-तरीकों से है जिस तरह से सूचनाओं को ग्रहण किया जा सकता है। इस तरह नीतियों की व्याख्या करने में कथित रूप से केंद्रीय बैंकों पर कभी-कभी असंबद्धता या अस्पष्टता का आरोप लगना जितना मुद्दों की जटिलता को दर्शाता है उतनी ही भिन्नता विभिन्न प्रकार के श्रोताओं द्वारा उस सूचना के बोध में भी दिखाई देती है जिनको लक्ष्य करके सूचना दी गई है।

सार्वजनिक हित में मीडिया द्वारा वित्तीय क्षेत्र में किए गए योगदान का मूल्यांकन करते हुए मैं कम से कम चार प्रकार के प्रभावों में अंतर स्पष्ट करना चाहूंगा। इनमें से, पहले प्रकार को *समाचार प्रभाव* के रूप में देखा जा सकता है जिससे आम तौर पर घटनाओं की तथ्यात्मक अथवा

औपचारिक स्थितियां प्रदर्शित होती हैं। माना जाता है कि मीडिया की सूचना विश्वसनीय एवं अविवादित होगी। एक दूसरा प्रकार *अफवाह प्रभाव* है और अक्सर अफवाहों के प्रभाव से अस्थिरता फैलती है और कतिपय मामलों में इन अफवाहों में खुद ही सिमटकर स्थापित होने अथवा अपना स्वार्थ सिद्ध करने की संभावना होती है। प्रायः अफवाहों के प्रभाव से अप्रत्याशित हानियां या लाभ होते हैं और इससे जनता को इस बात का संदेह हो सकता है कि इस प्रकार की अफवाहों के पीछे कोई निहित स्वार्थ है। कहने की जरूरत नहीं कि इस रूप में कुल मिलाकर मीडिया की भूमिका नकारात्मक हो सकती है। तीसरे प्रकार की पहचान 'सर्वेक्षण प्रभाव' से की जाती है। जनमत लेना या सर्वेक्षण मीडिया के लिए कोई असामान्य बात नहीं है और सही तस्वीर पेश करने में इनमें सैद्धांतिक और अन्य प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इन सर्वेक्षणों में बाजार तथा कभी-कभार आम जनता के मन को प्रभावित करने का रुझान होता है। इस प्रकार के मामले में, मीडिया के योगदान का मूल्यांकन उसके द्वारा अपनाई गई वैज्ञानिक विधि, धारणाओं की पारदर्शिता और परिणामों की प्रस्तुति की वस्तुपरकता के आधार पर निर्भर होगा। इस रूप में सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान देना पहली पूर्व शर्त है। चौथा प्रकार *व्याख्या प्रभाव* है जहां मीडिया नीति निर्माताओं या बाजारों या कंपनियों के दृष्टिकोण की व्याख्या करने की कोशिश करता है। व्याख्या प्रभाव सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है जो व्यावसायिक कौशल तथा उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करता है। इस रूप में सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करने में जिम्मेदारी और जबाबदेही की मुख्य भूमिका होती है। संक्षेप में, मेरा यह कहना है कि मीडिया की जिम्मेदारियां केवल उसके अंशधारकों अथवा उसके ग्राहकों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि इससे भी आगे बढ़कर उसकी जिम्मेदारियां आम जनता के एक काफी बड़े वर्ग के प्रति भी हैं। इस अर्थ में, मीडिया के समक्ष चुनौतियां और धर्मसंकट शायद केंद्रीय बैंकों के समक्ष चुनौतियों और धर्मसंकटों से कमतर नहीं हैं। यह भी मानना सही और उचित है कि स्वयं मीडिया को ही अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

मसलन, उस पर सबसे पहले खबर देने एवं दौड़ में आगे रहने के दबाव हैं। सबसे अनूठा होने के प्रोत्साहन हैं। उन्हें जोखिम लेने वाले अनेक लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। उनके अपने वैचारिक रुझान हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन जहां तक रिज़र्व बैंक का संबंध है मीडिया बहुत औचित्यपूर्ण रहा है और मुझे तो मीडिया के साथ संवाद करने में आनंद, प्रेरणा तथा शिक्षा मिलती है। मुझे सभी प्रकार के मीडिया - जो भारत के सर्वश्रेष्ठ तथा उज्ज्वल छवि वाले मीडिया हैं, के साथ अपनी उलझनें तथा दुविधाएं बताने में बड़ा मजा आता है।

वक्तव्य समाप्त करने से पहले यह कहना आवश्यक है कि संप्रेषण नीति केवल किसी नीति की व्याख्या करना या उस पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना नहीं है बल्कि इसमें वे तत्व भी शामिल हैं जो स्वयं नीति की दिशा को प्रभावित करते हैं। एक केंद्रीय बैंक यह कार्य विभिन्न तरीकों से करता

है जिनमें शोध प्रकाशन तथा भाषण शामिल हैं। जैसा कि एक प्रख्यात राजनेता-विद्वान और मेरे प्रतिष्ठित पूर्ववर्तियों में से एक डॉ.आई.जी.पटेल ने वर्ष 2004 में कहा था :

“सूचना का मतलब केवल पारदर्शिता नहीं होता। इसका अर्थ शिक्षा, मार्गदर्शन एवं चीजों को सही दिशा में आगे बढ़ाना होता है। इस रूप में केंद्रीय बैंक सरकार तथा जनता और संसद के भी बीच का एक ईमानदार मध्यस्थ हो सकता है।”

शायद, विनम्रता में थोड़ी कमी हो परंतु मेरे पूर्ववर्ती उप गवर्नर श्री एस.एस.तारापोर के एक उद्धरण से सोदाहरण यह बताना संभव है कि यह कार्य कैसे किया गया है :

“हालांकि मुझे स्वर्ण एवं पूंजी परिवर्तनीयता के संबंध में बोलने के लिए कहा गया है लेकिन मैं इससे पहले एक टिप्पणी के रूप में पूंजी लेखा परिवर्तनीयता (सीएसी) पर समिति गठित होने से पहले की कुछ घटनाओं का कुछ क्षणों में हवाला देना चाहूंगा। जब कभी भारत की स्वर्ण नीति का पुख्ता इतिहास लिखा जाएगा, 28 नवंबर 1996 को विश्व स्वर्ण परिषद सम्मेलन में डॉ.वाइ.वी.रेड्डी, उप गवर्नर द्वारा दिया गया भाषण एक निर्णायक मोड़ के रूप में रेखांकित किया जाएगा क्योंकि किसी वरिष्ठ भारतीय अधिकारी द्वारा दिया गया शायद यह एकमात्र भाषण है जिसमें स्वर्ण नीति से जुड़े मुद्दों पर सीधे चर्चा की गई है और इस भाषण को प्रमुख नीति परिवर्तन के पूर्वगामी के रूप में बाकायदा

दर्ज किया जाएगा। प्रासंगिक मुद्दों को उभारकर डॉ. रेड्डी ने उक्त समिति के गठन का रास्ता तैयार कर दिया जिसने भारत की स्वर्ण नीति पर अपनी विशेष सिफारिशें दीं।”

किसी केंद्रीय बैंक के गवर्नर की भूमिका को लेकर रोचक प्रश्न तब खड़ा हो जाता है जब उसके साथ ऐसे महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे जुड़े होते हैं जो केंद्रीय बैंकिंग को प्रभावित करते हों। इस संदर्भ में स्वर्गीय डॉ. आई.जी. पटेल का एक उद्धरण शायद एक अच्छा पथ प्रदर्शक होगा :

“लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब इस प्रकार के अहम सवाल पैदा होते हैं तब गवर्नर चुप नहीं बैठ सकता। वह एक जनसेवक है जो देश एवं संविधान के प्रति वफादार होता है - न कि केवल एक परिवर्तनशील सरकार के प्रति। इसके बावजूद वह इस प्रकार कार्य नहीं कर सकता कि मानो हर मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। उसे अपनी जमीन खुद चुननी है और सबसे पहले उसे विवेकशील रहना है। सरकार को नाखुश किए बगैर वह एक बहस प्रारंभ कर सकता है और अपने तर्क को एक खास दिशा में ले जा सकता है। उसकी सबसे बड़ी ढाल लोकतंत्र और खुली बहस की परंपरा है।”

मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस विषय पर सोचने के लिए उकसाया।

मैं इस सेमिनार की सफलता की कामना करता हूँ और हम भारतीय रिज़र्व बैंक में इस विचार विमर्श से लाभान्वित होने की आशा करते हैं।

¹ नई दिल्ली में 2 अगस्त 1997 को विश्व स्वर्ण काउंसिल के स्वर्ण बैंकिंग सेमिनार में दिया गया उनका भाषण ।